न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 55/2019
निर्णय दिनांक : 14.05.2022

भंवरलाल शर्मा पुत्र श्री मंगलराम, आयु 54 वर्ष, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी मदाऊ, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 327 रकबा 0.85 हैक्टेयर स्थित ग्राम मदाऊ, पटवार हल्का जयसिंहपुरा, भू.अ.क्षेत्र भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्तशुदा भूमि है। इसके अलावा प्रार्थी के नाम ग्राम मदाऊ में ही सामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 27 से 32, 245, 246, 250 से 253, 258/576, 319/512 स्थित है। प्रार्थी का सही नाम भंवरलाल शर्मा पुत्र मंगलराम है। परन्तु भूमि खसरा नम्बर 327 के खाते में प्रार्थी का नाम भौरीलाल पुत्र मंगलाराम है जबकि प्रार्थी के पहचान के अन्य दस्तावेजों जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पैन कार्ड आदि में सही नाम भंवरलाल पुत्र मंगलराम ही लिखा हुआ है। प्रार्थी अपनी भूमि पर के.सी.सी. लोन लेना चाहता था। इस पर जब बैंक से लोन हेतु वार्ता की तो बैंक वालों ने स्पष्ट कहा कि आपका जमाबन्दी का नाम आधार कार्ड से मेल नही खाता है, इसलिए नाम शुद्ध कराये बिना आपको लोन दिया जाना सम्भव नही है। इस पर प्रार्थी ने तहसीलदार सांगानेर के समक्ष नाम शुद्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होनें प्रार्थना पत्र लेने से यह कहकर इंकार कर दिया कि इस हेतु न्यायालय हाजा को ही अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 327 रकबा 0.85 हैक्टेयर की भूमि के रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भौरीलाल पुत्र मंगलराम के स्थान पर सही नाम भंवरलाल पुत्र मंगलराम दर्ज रिकार्ड किया जाना आवश्यक है, इसी हेतु न्यायालय हाजा के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त खसरा नम्बर 327 ग्राम मदाऊ की भूमि रकबा 0.85 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम भंवरलाल पुत्र मंगलराम दर्ज रिकार्ड करने के तहसीलदार सांगानेर को आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:07:33 IST
Reason: SelfAttested

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी का तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुआ।

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित एवं अप्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों को दौहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी द्वारा सहमति दी गई दस्तावेजों के अनुसार नाम दुरूस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पैन कार्ड एवं अन्य राजस्व रिकार्ड एवं अपने भाई गोविन्दराम पुत्र मंगलराम शर्मा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी का नाम भंवरलाल शर्मा पुत्र मंगलराम शर्मा दर्ज है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम मदाऊ, पटवार हल्का जयसिंहपुरा, भू.अ.क्षेत्र भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 327 रकबा 0.85 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम भौरीलाल शर्मा पुत्र मंगलाराम शर्मा के स्थान पर भंवरलाल शर्मा पुत्र मंगलराम शर्मा के आदेश दिये जाते है, इस प्रकार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामल किया जावे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्वर से कम कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:07:33 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार नायक)
उप–खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर